



वित्तीय निविदा

1. निविदा क्रमांक ..... 2706 ..... / रायपुर दिनांक 09-06-2016
2. वित्तीय निविदा जमा करने का दिनांक एवं समय ....., अपरान्ह 3.00 बजे
3. वित्तीय निविदा खोलने का दिनांक एवं समय ....., अपरान्ह 4.00 बजे
4. निविदाकार का नाम/पूर्ण पता / .....
5. दूरभाष क्रमांक .....
6. निष्प्रयोजित वाहन क्रमांक— CG-02/2873
7. निष्प्रयोजन वाहन का विवरण—  
AMBASSDOR CLASSIC 2.0  
E.2 DSZ (EURO-II)  
DIESEL MODEL 2005
8. इंजन नम्बर— 3HNFE 015958
9. चेचीस नम्बर— AGE 892164
10. कैपेसिटी (एच.पी.)— 1995 CC
11. निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये निरंक/सुरक्षा निधि रु. .... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक.....  
..... दिनांक.....द्वारा जमा किया गया।
12. क्रय हेतु प्रस्तावित मूल्य रूपये (अंको में )..... शब्दों में .....
13. हमने उपरोक्त निष्प्रयोजित वाहन का अवलोकन कर लिया है और निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें भी पढ़ ली गई हैं एवं हमें स्वीकार है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम.....

पूर्ण पता.....


.....





**-: निविदा की शर्तें :-**

1. यह निविदा निष्प्रयोजित वाहन क्रमांक CG -02-2873 Ambassdor "जहाँ है, जैसे है" की बिक्री के लिए बुलायी गई है। अवलोकन के लिए वाहन एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर में खड़ी है।
2. निविदाकार उल्लेखित अनुपयोगी वाहन का अवलोकन कर संतुष्ट होने के पश्चात् ही वित्तीय निविदा प्रस्तुत करें।
3. वित्तीय निविदा के साथ रु. 5000/- मात्र का सुरक्षा निधि का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के पक्ष में सील बंद लिफाफा में जमा करना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदाकार द्वारा लिफाफे पर "वाहन क्रमांक सी.जी. - 02/2873 की निविदा" अंकित करना आवश्यक है एवं निविदा प्रपत्र केवल स्पीड-पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर, रायपुर में दिनांक 01.07.2016 सायं 03:00 बजे तक जमा किया जावेगा एवं उसी दिन सायं 04:00 बजे निविदा खोली जावेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकार या निविदाकार के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
5. विलंब से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिसकी जिम्मेदारी संबंधित निविदाकार की स्वयं की होगी।
6. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. निविदा स्वीकार करने या नहीं करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। निविदा अस्वीकार करने की स्थिति में कोई कारण नहीं बताया जायेगा।
8. निविदा स्वीकार करने पर निविदाकार को तीन दिवस में पूर्ण राशि जमा करना आवश्यक है अन्यथा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
9. निष्प्रयोजित वाहन प्राप्त करने का अधिकार पत्र जारी होने के एक सप्ताह की अवधि में वाहन उठाना पड़ेगा अन्यथा रुपये 100/- प्रतिदिन के अनुसार किराया बतौर लिया जायेगा जो कि अधिकतम 5 दिवस तक स्वीकार किया जावेगा। पांच दिवस पश्चात् भी निष्प्रयोजित वाहन नहीं उठाने पर सुरक्षा राशि राजसात कर ली जायेगी। यदि बीस दिवस में भी वाहन नहीं उठाया जाता है तो सफल निविदाकार द्वारा जमा पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी एवं नये सिरे से निविदा आमंत्रित किया जावेगा।
10. निष्प्रयोजित वाहन की लोडिंग/अनलोडिंग, ट्रांसपोर्ट आदि खर्च निविदाकार के द्वारा वहन की जावेगी।
11. बिना कारण बताएं निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
12. शासकीय वाहन का प्रायवेट वाहन के रूप में पंजीयन सफल निविदाकार को स्वयं कराना होगा तथा उस पर होने वाला समस्त व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा।

  
संचालक  
एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर